न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)			
वाद/प्रार्थना–पत्र स.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
163 /24	88,89, 188 RTA	तिसाया	बारां

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
हरदयाल	बनाम	हरिशचन्द्र वगै0

वकील :–	श्री ओम प्रकाश मेहता ।। एड0	आदेश पत्रक	वकीलः–

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
16.12.2024	अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, 188 आर.टी. एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी के न्याया0 में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 30/12/24 को पेश हो।	
30/12/24	पत्रावली पेश हुई। [illegible] उप0। अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया। प्रस्तुत राजीनामा पक्षकारान को पढ़कर सुनाया गया। उनके द्वारा राजीनामा सुनकर समझकर स्वीकार किया गया तथा अपनी स्वेच्छा [?] ... की तस्दीक पश्चात अभिभाषकगण द्वारा की गई। प्रस्तुत राजीनामा सद्भाव व स्वेच्छा के आधार पर तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। वादी का वाद प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील तामील [?] की दाखिल दफ्तर हो।	हरदयाल [?] O.P. Mehta हरिशचन्द्र [?] Identified by Adv (Adv)

निर्णय व इजलास श्री अभिमन्यु सिंह कुन्तल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 163/24
दायरा दिनांक :– 16.12.2024
निर्णय दिनांक :– 30.12.2024

उनवान

1. हरदयाल आयु 58 वर्ष पुत्र काशीलाल जाति ब्राहमण निवासी तिसाया तहसील बारां जिला बारां राजस्थान

–वादीगण

बनाम

1. हरिशचन्द्र पुत्र काशीलाल जाति ब्राहमण निवासी तिसाया हाल निवासी पेट्रोल पंप के आगे वाली गली श्रीराम मंदिर के पास जवाहर नगर कोटा
2. रमेशचन्द्र पुत्र काशीलाल जाति ब्राहमण निवासी तिसाया
3. गोविन्द प्रसाद पुत्र काशीलाल जाति ब्राहमण निवासी तिसाया तहसील बारां जिला बारां
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :– 30.12.2024

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री ओमप्रकाश मेहता ।। एड0 – वादीगण
2. श्री अंकित शर्मा एड0 – प्रतिवादीगण

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा वाके ग्राम तिसाया पटवार. हल्का तिसाया जिला बारां की आराजी खाता संख्या नया 540 पुराना 515 की आराजी खसरा नं0 967 दक्षिणी रकबा 0.16 हे0, खसरा नं0 968 दक्षिणी रकबा 0.98 हे0, खसरा नं0 515 रकबा 0.33 हे0, खसरा नं0 1505/1060 पूर्वी रकबा 0.44 हे0, कुल किता 4 रकबा 1.91 हे0 ग्राम तिसाया की आराजी खाता संख्या नया 389 पुराना 383 की आराजी खसरा नं0 1060 पश्चिमी रकबा 0.33 हे0, खसरा नं0 1501/968 मध्य रकबा 0.97 हे0, खसरा नं0 1503/1063 पश्चिमी रकबा 0.31 हे0, खसरा नं0 1504/967 मध्य रकबा 0.13 हे0, खसरा नं0 469 मीना वाली रकबा 0.17 हे0, कुल 5 किता कुल रकबा 1.91 हे0 ग्राम तिसाया के खाता संख्या नया 542 पुराना 518 की आराजी खसरा नं0 1061 टूकडी रकबा 0.27 हे0, खसरा नं0 1062 रकबा 0.02 हे0, खसरा नं0 1063 पूर्वी रकबा 0. 04 हे0, खसरा नं0 1409/290 रकबा 0.30 हे0, खसरा नं0 291 रकबा 0.91 हे0, खसरा नं0 292/1344 रकबा 0.32 हे0, खसरा नं0 467 रकबा 0.07 हे0, कुल 7 किता रकबा 2.29 हे0 तथा ग्राम तिसाया के खाता संख्या नया 92 पुराना 97 की आराजी खसरा नं0 1500/968 उत्तरी रकबा 1.10 हे0, खसरा नं0 1505/967 उत्तरी रकबा 0.10 हे0, खसरा नं0 468 रकबा 0.37 हे0, खसरा नं0 470 रकबा 0.19 हे0, खसरा नं0 557 रकबा 0.15 हे0, कुल 5 किता रकबा 1.91 हे0 स्थित है। जिसमें से मूल खसरा नं0 967 रकबा 0.39 हे0 ओर मूल खसरा नं0 968 रकबा 3.05 हे0 को ही वाद पत्र में विवादित आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है। वादी एवं प्रतिवादी के मध्य सहमति विभाजन दिनांक 18.09.2009 की पालना में खोला गया नामान्तरण संख्या 796 दिनांक 24.09.2009 नायब तहसीलदार बारां में टंकण त्रुटि से खसरा नं0 967 की

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

3.05 हक्ट0 म टकण त्रुटि से मौके अनुसार बंटवारा न होकर गलत रूपसे

बंटवारा हो गया है जबकि मौके पर काबिज केवल प्रतिवादी कम 1

देशाये व रकबा मौके अनुसार दर्ज न होकर गलत अंकन हो गया है जबकि मौके अनुसार वर्तमान में खसरा नं0 967 रकबा 0.39 हे0 में से प्रतिवादी क्रम 3 को खसरा नं0 367 का 0.10 हे0 उत्तरी ओर का दिया गया है जबकि मौके पर खसरा नं0 967 प्रतिवादी क्रम 3 के पास 0.03 हे0 उत्तरी ओर का खसरा नं0 968 रकबा 1.07 हे0 उत्तरी ओर के साथ कब्जे कश्त में है जबकि आपसी सहमति विभाजन दिनांक 18.09.2009 के अनुसार खसरा नं0 967 रकबा 0.10 हे0 उत्तरी व खसरा नं0 968 उत्तरी रकबा 1.10 हे0 दर्ज किया गया है जो गलत दर्ज हो गया है इसी प्रकार वादी के खाते में 18.09.2009 को टंकण त्रुटि से खसरा नं0 767 रकबा 0.16 हे0 दक्षिणी व खसरा नं0 968 रकबा 0.98 हे0 दर्ज हो गया है जबकि मौके पर खसरा नं0 967 रकबा 0.32 हे0 दक्षिणी व खसरा न0 968 रकबा 0.82 हे0 दक्षिणी है इसी प्रकार प्रतिवादी क्रम 2 को सहमति विभाजन दिनांक 18.09.2009 के अनुसार खसरा नं0 967 रकबा 0.13 हे0 मध्य व खसरा नं0 968 रकबा 0.97 हे0 मध्य गलत दर्ज हो गया है जबकि मौके पर प्रतिवादी क्रम 2 के कब्जे काश्त में खसरा नं0 967 रकबा 0.04 हे0 मध्य व खसरा नं0 968 रकबा 1.06 हे0 मध्य है इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादी क्रम 2 व 3 का हिस्सा मौके अनुसार सहमति बंटवारे में त्रुटिवश अकंन नही हुआ है इसलिये वादी मौके अनुसार खसरा नं0 967 व 968 में मौके अनुसार दुरस्ती कराकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करा पा सकने का अधिकारी एवं नालिशी है। कि खसरा नं0 967 का पश्चिमी भाग रास्ते से लगा हुआ है उसके बाद खसरा नं0 967 के पूर्वी ओर खसरा नं0 968 है इस प्राकर खसरा नं0 968 के व रास्ते के मध्य खसरा नं0 967 का भाग प्रतिवादी क्रम 3 का दिये जाने के कारण रास्ते मे आने जाने की समस्या उत्पन्न हो गई है जबकि खसरा नं0 967 का उत्तरी भाग जितना हिस्सा खसरा नं0 968 का मौके पर प्रतिवादी क्रम 3 के पास स्थित है उतना ही हिस्सा खसरा नं0 967 का दिया जाना था किन्तु गलत रुप से खसरा नं0 967 रकबा 0.10 हे0 उत्तरी व खसरा नं0 968 रकबा 1.10 हे0 उत्तरी सहमति विभाजन दिनांक 18.07.2009 के अनुसार दिया गया है जो सर्वथा गलत है क्योकि मौके अनुसार प्रतिवादी क्रम 3 के पास खसरा नं0 967 का रकबा 0.03 हे0 उत्तरी व उसी के पूर्वी ओर का खसरा नं0 968 का रकबा 1.17 हे0 मौके पर मौजूद है इस प्रकार सहमति बंटवारे में दुरस्ती कर मौके अनुसार प्रतिवादी क्रम 3 के हिस्से में दर्ज किया जावें इसी प्रकार खसरा नं0 967 रकबा 0.16 हे0 दक्षिण व खसरा नं0 968 रकबा 0.98 हे0 दक्षिणी सहमति विभाजन दिनांक 18.09.2009 से वादी का दिया गया है। किन्तु मौके पर खसरा नं0 967 का रकबा 0.32 हे0 दक्षिणी व उसी के पूर्वी ओर का खसरा नं0 968 रकबा 0.82 हे0 दक्षिणी वादी के स्वामित्व में है इस प्रकार मौके अनुसार आपी विभाजन 18.09.2009 में संशोधन किया जाकर वादी के खातेदारी मे तथा खसरा नं0 967 रकबा 0.13 हे0 मध्य व खसरा नं0 968 रकबा 0.97 रकबा 0.13 हे0 मध्य का हिस्सा प्रतिवादी क्रम 2 को आपसी सहमति बंटवारा दिनांक 18.09.2009 के अनुसार दिया गया है जबकि मौके पर वर्तमान में प्रतिवादी क्रम 2 खसरा नं0 967 रकबा 0.04 हे0 मध्य व उसी के पूर्वी ओर खसरा नं0 968 रकबा 1.06 हे0 मध्य पर काबिज है इसी अनुसार सहमति विभाजन में संशोधन किया जाकर उसके नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड व नक्शों में दुरस्ती किया जाना आवश्यक है जिससे वादी एवं प्रतिवादी क्रम 2 व 3 को रास्ते पर आने जाने व मौके की स्थिति में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो इसलिये मौके अनुसार सहमति बंटवारा दिनांक 18.09.2009 में संशोधन किया जाना आवश्यक है जिस पर किसी भी पक्षकार को कोई आपत्ति नही है। इसलिये मौका अनुसार खसरा नं0 967 व 968 में वादी व प्रतिवादी क्रम 2 व 3 को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर

उपखण्ड अधिकारी
बारां

उनका नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें तथा वादी के पक्ष में खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी एवं नालिशी है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण से तहसील में चलकर मौके अनुसार खसरा नं0 967 व 968 में दुरस्ती कराये जाने के लिये निवेदन किया गया तो उनके द्वारा असमर्थता व्यक्त की गई व अंतिम रुप से निांक 05.12.2024 को इकांर करने पर तहसीलदार बारां से निवेदन किया गया तो तहसीलदार बारां द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने कर सलाह दी गई है। जिस पर वादी द्वारा अपने अधिवक्ता से धारा 80 सीपीसी का नोटिस जिला कलेक्टर महोदय बारां को दिनांक 10.12.2024 को दिलाये जाने पर वाद कारण अंतिम रुप से 05.12.2024 व 10.12.2024 को उत्पन्न हुआ है। कि जिला कलेक्टर महोदय बारां को धारा 80 सीपीसी का नोटिस प्रेषित किया जा चुका है। किन्तु नोटिस की मियाद समाप्त नही हुई है चूकि वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण नोटिस मियाद समाप्ति तक वाद प्रस्तुत करने का इंतजार किया जाना संभव नही है इस कारण धारा 80(2)सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। कि राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सर्वोच्च भूस्वामी होने के कारण वाद में प्रतिवादी क्रम 4 के रुप में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है। वाद उचित न्यायशुल्क पर पेश है। कि माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। कि अन्य कारण वक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस आशय की डिक्री पारित की जावें कि ग्राम तिसाया की आराजी मूल खसरा नं0 967 रकबा 0.39 हे0 व खसरा नं0 968 रकबा 3.05 हे0 में सहमति बंटवारा 18.09.2009 को संशोधित करते हुये वादी को खसरा नं0 967 रकबा 0.32 हे0 दक्षिणी व खसरा नं0 968 रकबा 0.82 हे0 दक्षिणी प्रतिवादी क्रम 2 को खसरा नं0 967 रकबा 0.04 हे0 मध्य खसरा नं0 968 रकबा 1.06 हे0 मध्य प्रतिवादी क्रम 3 को खसरा नं0 967 रकबा 0.03 हे0 उत्तरी व खसरा नं0 968 रकबा 1.17 हे0 उत्तरी का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें उसी अनुसार नक्शे में तरमीम की जावें। वादी के पक्ष में खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें कि वह वादी को अपने खातेदारी में किसी प्रकार की मदाखलत न तो स्वयं उत्पन्न करें न अपने किसी प्रतिनिधी से करावें अन्य सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान की जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से श्री अंकित शर्मा एड0 का वकालत नामा पेश हुआ। वादीगण एवं प्रतिवादी द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया। वादीगण ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी वाके ग्राम तिसाया सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 542 पेश, नकल जमाबन्दी वाके ग्राम तिसाया सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 540, नकल जमाबन्दी वाके ग्राम तिसाया सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 389, नकल जमाबन्दी वाके ग्राम तिसाया सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 92, नकल नक्शा किश्तवार ग्राम तिसाया खसरा नं0 1500/968, 1501/968, 968, 1505/967, 1504/967, एवं 967, नक्शा भू–प्रबंधक ग्राम तिसाया नकल कार्यालय तह0 बारां विभाजन आदेश दिनांक 18.09.2020, नकल इंतकाल 796 दिनांक 24.09.2009, नकल जमाबन्दी सम्वत 2061–2064 खाता संख्या नया 436 पुराना 384, नकल नक्शा ग्राम तिसाया सम्वत 1977–68, नकल नोटिस 80 सीपीसी दिनांक 10.12.2024, पेश किया गया।

अभिभाषक उभय पक्षकारान् द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया। प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार ग्राम तिसाया की आराजी खाता संख्या नया 436

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

की सम्वत 2061–64 में खसरा नं0 291 रकबा 0.91 हे0, खसरा नं0 292/1344 रकबा 0.32 हे0, खसरा नं0 468 रकबा 0.37 हे0, खसरा नं0 469 रकबा 0.17 हे0, खसरा नं0 470 रकबा 0.19 हे0, खसरा नं0 515 रकबा 0.33 हे0, खसरा नं0 557 रकबा 0.15 हे0, खसरा नं0 968 रकबा 3.05 हे0, खसरा नं0 1060 रकबा 0.77 हे0, खसरा नं0 1061 रकबा 0.27 हे0, खसरा नं0 1063 रकबा 0.71 हे0 कुल किता 11 कुल रकबा 7.24 हे0 व ग्राम तिसाया की खसरा नं0 967 रकबा 0.39 हे0 के संयुक्त रुप से वादी हरदयाल व प्रतिवादीगण हरिशचन्द्र, रमेशचन्द्र, गोविन्द प्रसाद संयुक्त रुप से खातेदार थे किन्तु आपसी सहमति से किये गये विभाजन में खसरा नं0 967 रकबा 0.39 हे0 व खसरा नं0 968 रकबा 3.05 हे0 में टंकण त्रुटि से मौके अनुसार बंटवारा न होकर गलत रुप से बंटवारा हो गया है जबकि मौके पर काबिज केवल प्रतिवादी क्रम 1 हरिशचन्द्र को छोडकर क्योकि प्रतिवादी क्रम 1 हरिशचन्द्र को उक्त दोनो खसरा नं0 में हिस्सा प्राप्त नही हुआ है। हरिशचन्द्र के अलावा वादी एवं प्रतिवादी क्रम 2 व 3 को ही उक्त खसरा नं0 में हिस्सा प्राप्त हुआ है जो मौके पर निम्न प्रकार है। मौके अनुसार गोविन्द प्रसाद को खसरा नं0 967 रकबा 0.03 हे0 उत्तरी व उसी के पूर्वी ओर का खसरा नं0 968 का रकबा 1.17 हे0 उत्तरी इसी प्रकार वादी हरदयाल को खसरा नं0 967 का रकबा 0.32 हे0 दक्षिणी व उसी के पूर्वी ओर का खसरा नं0 968 रकबा 0.82 हे0 दक्षिणी इसी प्रकार रमेशचन्द्र को खसरा नं0 967 रकबा 0.04 हे0 मध्य व उसी के पूर्वी ओर का खसरा नं0 968 रकबा 1.06 हे0, मध्य मौके पर है। उसी अनुसार आपसी सहमति से वादी व प्रतिवादीगण खाता दुरुस्त कराकर उसी अनुसार नक्शे में दुरुस्ती कराने के लिये सहमत है। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्तानुसार राजीनामा तस्दीक किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी क्रम 2 व 3 का मौके अनुसार खसरा नं0 967 रकबा 0.39 हे0 खसरा नं0 968 रकबा 3.05 हे0 में बंटवारा कर खातेदारी में दर्ज कर नक्शे में संशोधन किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

प्रस्तुत राजीनामा अभिभाषक उभय पक्षकारान् द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर पेश किया गया। राजीनामा अभिभाषक उभय पक्षकारान् को पढ़कर सुनाया गया व समझाया गया। उभय पक्षकारान् राजीनामा पढ व सुनकर स्वीकार किया गया, तथा राजीनामा एवं पत्रावली पर सहमति के आधार पर हस्ताक्षर किये गये, जिनकी पहचान उनके अभिभाषकगण द्वारा की गई। अभिभाषक उभय पक्षकारान् की सहमति एवं सन्तुष्टि के आधार पर प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचानुसार वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है, वादी व प्रतिवादी क्रम 2 व 3 का राजीनामा अनुसार प्रतिवादी क्रम–3 को खसरा नं0 967 रकबा 0.03 हे0 उत्तरी व उसी के पूर्वी ओर का खसरा नं0 968 का रकबा 1.17 हे0 उत्तरी वादी को खसरा नं0 967 का रकबा 0.32 हे0 दक्षिणी व उसी के पूर्वी ओर का खसरा नं0 968 रकबा 0.82 हे0 दक्षिणी प्रतिवादी क्रम–2 को खसरा नं0 967 रकबा 0.04 हे0 मध्य व उसी के पूर्वी ओर का खसरा नं0 968 रकबा 1.06 हे0, मध्य पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिमन्यु सिंह कुन्तल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

अन्तिम

डिक्री

वाद संख्या 163/24	88,89, 188 आर0 टी0 एक्ट	निर्णय दिनांकः– 30/12/24
समक्ष : श्री अभिमन्यु सिंह कुन्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः– श्री ओमप्रकाश मेहता ।। एड0	अभिभाषक प्रतिवादीः– श्री अंकित शर्मा एड0	

वाद शीर्षक

उनवान

1. हरदयाल आयु 58 वर्ष पुत्र काशीलाल जाति ब्राहमण निवासी तिसाया तहसील बारां जिला बारां राजस्थान

–वादीगण

बनाम

1. हरिशचन्द्र पुत्र काशीलाल जाति ब्राहमण निवासी तिसाया हाल निवासी पेट्रोल पंप के आगे वाली गली श्रीराम मंदिर के पास जवाहर नगर कोटा
2. रमेशचन्द्र पुत्र काशीलाल जाति ब्राहमण निवासी तिसाया
3. गोविन्द प्रसाद पुत्र काशीलाल जाति ब्राहमण निवासी तिसाया तहसील बारां जिला बारां
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

–प्रतिवादीगण

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादी व प्रतिवादी क्रम 2 व 3 का राजीनामा अनुसार प्रतिवादी क्रम–3 को खसरा नं0 967 रकबा 0.03 हे0 उत्तरी व उसी के पूर्वी ओर का खसरा नं0 968 का रकबा 1.17 हे0 उत्तरी वादी को खसरा नं0 967 का रकबा 0.32 हे0 दक्षिणी व उसी के पूर्वी ओर का खसरा नं0 968 रकबा 0.82 हे0 दक्षिणी प्रतिवादी क्रम–2 को खसरा नं0 967 रकबा 0.04 हे0 मध्य व उसी के पूर्वी ओर का खसरा नं0 968 रकबा 1.06 हे0, मध्य पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है,

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 30/12/24 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला–बारां

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		